CIN:U45203MP2004SGC016758

MADHYA PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(Govt. of M.P. Undertaking)

Divisional Office: Tehsil Campus , Tilli Road , Sagar, (M.P)

Ph & Fax- 07582-241888 dm-sagar@mp.gov.in

No. 555/MPRDC/2021-22 Sagar/Date 1/7/22

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
दक्षिण (सामान्य) वन मंडल
सागर (म.प्र.)

विषयः– Diversion of 6.08 ha. Protected Forest land for improvement and widening of Sagar – Rehli road SH -20 (Km 0/000 to Km 39/165) in favour of Divisional Manager, MP Road Development Corporation Ltd. in Sagar District of Madhya Pradesh – Reg.

संदर्भः–

1. MoEF&CC letter No. 6-MPR-013/2022-BHO Dated 06.06.2022
2. PCCF (LM)v MP letter No. F-5/124/2022/10-11/1420, dated 25.04.2022

मध्य प्रदेश सडक विकास निगम द्वारा सागर – रेहली सडक मार्ग के उन्नयन एवं चौड़ीकरण में कुल 6.08 है0 वन व्यपवर्तन का प्रस्ताव लगाया गया था। जिसमें भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा चाही गई जानकारी का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है –

क्र	विवरण	बिन्दु के संबंध में वस्तुस्थिति / जानकारी
1	CA scheme shall be uploaded on web portal & CA site suitability certificate shall be submitted & uploaded on web portal	उक्त बिन्दु वन मंडलाधिकारी, दक्षिण, वन मंडल से संबंधित है।
2	One transmission tower is visible in proposed CA area. Was approval under FCA (1980) taken for this shall be clarified?	जो एक टॉवर दिख रहा है वह प्रस्तावित भूमि के किनारे पर स्थित है। जिससे वृक्षारोपण प्रभावित नही होगा।
3	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted.	उक्त बिन्दु वन मंडलाधिकारी, दक्षिण, वन मंडल से संबंधित है एवं उनके स्तर से कार्यवाही की जायेगी।
4	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	परियोजना अंतर्गत वन भूमि में खुदाई से निकलने वाले उपयोगी मिट्टी का उपयोग Embankment बनाने में किया जायेगा तथा अनुपयोगी मिट्टी को सड़क के किनारे निचले भाग में समतलीकरण में उपयोग किया जायेगा।
5	Documentary evidence of existence of road prior to 1980 shall be submitted.	Toposheet वर्ष 1969–70 में यह मार्ग दर्शाया गया है कि जिससे स्पष्ट है कि यह मार्ग 1980 से पूर्व का है। प्रतिलिपि संलग्न

6	No objection certificates of concerned departments (Railway, WRD etc.) need to be submitted	उक्त भूमि के [illegible] में कोई भी Railway अथवा जल संसाधन विभाग का कोई भी structure अथवा भू- भाग प्रभावित नही हो रहा है अतः इन विभागों से अनापत्ति लेने की आवश्यकता नही है।
7	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan needs to be submitted.	प्रस्ताव के साथ Component वार भूमि का विवरण संलग्न किया गया था। जोकि पुनः संलग्न है।
8	As per the Google Earth imagery and DSS analysis, some works appears to have been undertaken in forest area. This needs clarification.	Google Earth Image में उल्लेखित कोई भी कार्य प्रारंभ नही किया गया है।
9	As per DSS analysis, about 900m of forest land (Comp. No. 821) is not included in proposal. This needs clarification and rectification of the proposal and all related documents.	उक्त प्रस्ताव वन विभाग के साथ अनेकों बार संयुक्त स्थल निरीक्षण उपरांत तैयार किया गया था। वन विभाग की जो भूमि प्रभावित हो रही थी समस्त भूमि 6.08 है0 में सम्मिलित की गई थी। उक्त बिन्दु द्वारा आपत्ति लिये जाने के उपरांत पुनः 2 बार संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया । जिससे भी यह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि उक्त 900 मीटर भाग के कुछ स्थान पर वन भूमि प्रभावित हो रही है अथवा नही। अतः यह undertaking दी जाती है कि सडक मार्ग के प्रश्नाधीन 900 मीटर मार्ग में केवल उपलब्ध विद्यमान सडक सीमा में ही सडक निर्माण कार्य संपन्न कराया जावेगा। (वचन पत्र संलग्न)
10	Scheme for roadside plantation needs to be submitted.	विषयांकित प्रस्तावित मार्ग 2 लेन paved shoulder राज्य राजमार्ग है। जिसमें Central verge नही होता है। मार्ग के चौडीकरण पश्चात सडक किनारे वृक्षारोपण हेतु भूमि की उपलब्धता भी लगभग नगण्य रहती है। वृक्षारोपण का कार्य अनुबंधानुसार कंसेशनायर के Scope of work मे सम्मिलित रहता है। विषयांकित सडक मार्ग में अनुबंधानुसार काटे गये वृक्षों के 10 गुना पौधों का रोपण किया जायेगा। यह रोपण कार्य कलेक्टर द्वारा आंवटित शासकीय भूमि अथवा मार्ग के किनारे स्थित सुरक्षित शासकीय परिसरो यथा पंचायत भवन, स्कूल छात्रावास में कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः इस संबंध मे अनुरोध है कि प्रस्ताव मे अनुमति दिलाने के संबध मे अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संभागीय प्रबंधक
म.प्र.सडक विकास निगम
सागर (म.प्र.)

Endt. No.   /MPRDC/2021-22   Sagar/Date________

प्रतिलिपिः—

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता (एडीबी–6–7), एमपीआरडीसी, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. पर्यावरण सुरक्षा विशेषज्ञ, एमपीआरडीसी, भोपाल की ओर चर्चा अनुसार सूचनार्थ।

संभागीय प्रबंधक
म.प्र.सडक विकास निगम
सागर (म.प्र.)